न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 754/2020 तारीख रजू:– 29.09.2017

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार यादव

R.A.S.

मुकेश पुत्र श्री प्रहलाद जाति जाटव निवासी अकबरपुर तन् श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली -- सायल

बनाम

1. सोमोती पत्नि प्रहलाद पुत्री नन्नू जाति जाटव निवासी चुराली हाल निवासी अकबरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. पूरन पुत्र सामन्ता | जाति जाटव निवासी चुरारी तहसील हिण्डौन
3. तमन्ना पत्नि सोहन
4. हंसा पुत्र सामन्ता | जिला करौली राजस्थान
5. तहसीलदार जी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
6. तहसीलदार, तहसील सूरौठ -- गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–1. श्री विजयसिंह एडवोकेट सायल

2.श्री शान्तिलाल करसौलिया एडवोकेट गैरसायल सं01ता4

निर्णय

दिनांक :–15.03.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर अंकित किया है कि खाता संख्या नया 242 व पुराना खाता सं0 128 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 637/2 रकबा 0.63 है0वाके ग्राम चुराली तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसकी खातेदारी गैरसायल नं01 के नाम है। गैरसायल नं01 सायल की माताजी है, सायल के नाना नन्नू के मरने के बाद नाना नन्नू की खातेदारी की भूमि गैरसायल सं01 के नाम बहिस्सा 1/2 तथा 1/2 हिस्सा की भूमि सायल के मामा भूरसिंह के नाम आ गयी। विरासत का नामान्तकरण सायल की माता गैरसायल नं01 के नाम खुलने के बाद सायल व उसके अन्य भाई अपनी माँ से प्राप्त भूमि को अपनी माँ गैरसायल नं01 के साथ काश्त करते चले आ रहे। गैरसायल सं01 कम दिमाग महिला है, जो कि हर किसी के झांसे व लालच में आ जाती है। दिनांक 15.07.2020 को गैरसायल नं0 2,3,4 सायल की माँ गैरसायल सं01 सोमोती को प्रलोभन देकर बिना परिवार को व किसी अन्य को बताये चुपचाप तरीके से सूरौठ तहसील लेकर गये और सायल के नाना की करीब ढाई ती बीघा भूमि जो कि ग्राम चुराली

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.17 12:08:52 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

में स्थित है कि रजिस्ट्री धोखे से गैरसायल सं02,3,4 ने अपने नाम करवा ली। रजिस्ट्री का पता सायल के मामा भूरसिंह को लगा तो सायल के मामा भूरसिंह ने सायल व सायल के परिवार वालों को बताया कि गैरसायल सं01 सोमोती ऐसे ही दिमाग की है, जो लालच में आ जाती है। तब सायल व परिवारजन ने गैरसायल नं01 से पूछा की रजिस्ट्री करायी है, उस भूमि के कितने पैसे दिये तब उसने बताया कि मुझे बीस हजार रूपया दिये हैं। उक्त भूमि करीब 20 लाख रूपया की है। गैरसायल नं0 2,3,4 ने पैसे भी नहीं दिये। सायल व उसके परिवारजन गैरसायल सं0 2,3,4 के पास अपने मामा भूरसिंह को साथ लेकर गये और गैरसायल सं02,3,4 से कहा कि आपने गैरसायल सं01 को धोखा देकर व छल कपट करके हमारी बेशमीमती भूमि की रजिस्ट्री करा ली । इस बात से गैरसायल नं0 2,3,4 नाराज हो गये तथा कहा कि अब यह भूमि हमारी है और सायल को मारने की धमकी दी। इस प्रकार सायल का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है। घटना दिनांक 07.08.2020 को समय करीब सुबह 9 बजे की है कि सायल अपनी उक्त आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र की साल संभाल कर रहा था तथा खडी फसल बाजरा की देखभाल कर रहा था कि इतने में ही गैरसायल सं0 2,3,4 सायल की उक्त आराजीयात पर आये और सायल से कहा कि अब तुम इस आराजीयात को भूल जाओ।अब हम कब्जा करेंगे। सायल ने कहा कि भाईयों आप लोगों ने मेरी मॉ को धोखे में रखकर रजिस्ट्री करायी है। इसलिए आप हमारे साथ ऐसा अन्याय मत करो। इस पर गैरसायल सं02,3,4 बोले कि हम शीघ्र ही उक्त आराजीयात का नामान्तकरण अपने हक में तहसील में जाकर खुलवा लेंगे। फिर तुमको नामान्तकरण खुलते ही लाठी की ताकत से बेदखल कर देंगे। सायल ने गैरसायल सं02,3,4 को काफी समझाया तथा गणमान्य लोगों से भी समझवाया लेकिन गैरसायलान अपनी हठधर्मी पर आमादा है तथा अजखुद मानने को तैयार नहीं है। यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा हरकत में सफल हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं हो सकेगी। इस कारण यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश करना आवश्यक हुआ है। गैरसायल सं02,3,4 विवादित आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र का नामान्तकरण खुलवाने पर आमादा है तथा सायल को जबरन लाठी की ताकत से बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी।इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन सायल के ही पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.17 12:08:52 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने दावा गैरसायल सं02,3,4 आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र खसरा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

नम्बर 637/2 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम चुराली तहसील हिण्डौन के बाबत् विक्रय पत्र के आधार पर गैरसायल सं05 तहसीलदार जी गैरसायल सं0 2,3,4 के हक में नामान्तकरण नहीं खोले। सायल को उनकी उक्त आराजी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। काश्त करने देवें। सायल के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। सायल को जबरन बेदखल नहीं करें तथा गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें जिससे हकूक सायल को कोई क्षति पहुँचती हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं01 ता 4 बाद तामील जरिये बकालतन उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 आंशिक रूप से स्वीकार है। सायल ने दावे में समस्त वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है। सायल द्वारा पेश किये गये दावे में मिस जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुख्स आरिज है। इसलिए प्रार्थना पत्र व दावा खारिज किये जाने योग्य है। गैरसायल नं01 उक्त भूमि की खातेदार है तथा अपनी खातेदारी का हस्तातंरण, विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। गैरसायलान ने अपनी स्वेच्छा एवं सहमति से उक्त भूमि को दिनांक 15.07.2020 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुवलिग 450000/–रूपया में विक्रय कर सब रजिस्ट्रार सूरौठ के समक्ष विक्रीत राशि प्राप्त कर उक्त विक्रय पत्र पर अपने अंगूठा निशानी लगाकर पंजीकृत कराया है। किसी प्रकार की धोखाधडी नहीं की है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 15.07.2020 को पंजीकृत किया गया है। उक्त दावा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर पेश किया गया है इसलिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य किये जाने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस अदालत को उक्त दावे का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र का मद नं06,7,8 बिल्कुल ही असत्य हैं, जो खारिज किये जाने योग्य हैं। उक्त दिनांक समय पर गैरसायलान द्वारा सायल को किसी प्रकार की धमकी देने की कोई बात ही नहीं हुई थी। ना ही गैरसायल नं02,3,4 ने गैरसायल सं01 के साथ्स किसी प्रकार की कोई धोखाधडी की थी। गैरसायल नं01 को गैरसायल सं02,3,4 से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। सायल को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को किसी भी सिविल न्यायालय में आज तक चुनौती नहीं दी है। गैरसायल नं02,3,4 की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खुलकर अपने नाम कराने का हकदार हैं।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072 से 75, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.07.2020 उनवानी सोमोती बहक पूरन हंसराम सुमंत्रा पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.17 12:08:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायल अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। इसके विपरीत गैरसायल नं01 ता 4 के अधिवक्ता ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072 से 75 के अनुसार विवादित आराजीय खसरा नम्बर 637/2 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम चुराली तहसील सूरौठ की खातेदारी सोमोती पुत्री नन्नू पति प्रहलाद हिस्सा पूर्ण जाति जाटव निवासी चुरारी हाल निवासी श्रीमहावीरजी खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 548 दिनांक 13.08.2020 बेचान से खसरा नम्बर 637/2 पर सोमोती पुत्री नन्नू से पूरन पुत्र सामन्ता, सुमंत्रा पत्नि सामन्ता, सोमोती पुत्री नन्नू, हंसराम पुत्र सामन्ता पर नामान्तकरण प्रक्रियाधीन है दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 15.07.2020 उनवानी सोमोती बहक पूरन हंसराम सुमंत्रा के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 637/2 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम चुराली तहसील सूरौठ में विक्रेती सोमोती ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा की भूमि को विल एवज मुवलिग 450000/–रूपया में केतागण पूरन हंसराम सुमंत्रा के हक में विकय किया गया है तथा विकय धन राशि चूकती केतागण से नकद प्राप्त करना अंकित किया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा वाकई मौके पर केतागण का कराना अंकित किया है। उक्त विकय पत्र उप पंजीयक कार्यालय सूरौठ में रजिस्टर्ड व पंजीबद्ध हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 637/2 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम चुराली तहसील सूरौठ गैरसायल सं01 सोमोती पुत्री नन्नू पति प्रहलाद हिस्सा पूर्ण जाति जाटव निवासी चुरारी हाल निवासी श्रीमहावीरजी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात थी, जिसको गैरसायल सं01 ने पूरन समुंत्रास हंसराम को बहिस्सा बराबर जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 15.05.2020 बेचान कर दिया है तथा मौके पर कब्जा केतागण / गैरसायल सं02,3,4 को संभला दिया है। सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में सुमंत्रा का नाम तमन्ना दर्ज किया हुआ है तथा हंसराम का नाम हंसा अंकित किया है तथा विकय पत्र को गैरसायल सं01 ने उप पंजीयक कार्यालय सूरौठ में उपस्थित होकर गैरसायल [illegible] के हक में रजिस्टर्ड व पंजीबद्ध दिनांक 15.07.2020 को [illegible] पर संभलाया है। इसलिए खरीद के दिन से ही गैरस[illegible] विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त होना साबित है। सायल का उक्त [illegible]दित आराजीयात से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। सायल की माता गैरसायल सं01 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.17 12:08:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन... (करौली)

Scanned by CamScanner

जबाव प्रार्थना पत्र में उक्त विक्रय पत्र को सही माना है तथा विक्रय धन राशि 450000/–रूपया क्रेतागण (गैरसायल सं02,3,4) से नकद प्राप्त किये हैं। ऐसे हालात में सायल का प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायल सं02,3,4 के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 637/2 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम चुराली तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.03.2021

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.17 12:08:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner